सज्जन सोडानी निवासी पोस्ट बिगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :– 12/2024

जीसीएमएस नं. :– 2024/88

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.5.24	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 01.01.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक/सू0अ0/2024/680 दिनांक 12.03.2024 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना तहसीलदार, भीलवाड़ा से संबंधित होने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कार्यालय के पत्रांक 21 दिनांक 05.01.2024 से तहसीलदार, भीलवाड़ा को अंतरित किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय पत्रांक 297 दिनांक 05.02.2024 से वांछित सूचना हेतु राजकोष में राशि जमा कराने हेतु रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी को सूचित किया गया। 4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा परिकथन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा 30 दिवस पश्चात् सूचना निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराई जाकर राजकोष में राशि जमा कराने की जो मांग की है, वह विधिसम्मत नहीं है अतः सूचना निःशुल्क दिलवाई जावें। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05.01.2024 को अपने अधिनस्थ तहसीलदार, भीलवाड़ा को अन्तरित किया गया एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के कार्यालय में उक्त आवेदन प्राप्ति की दिनांक से एक माह के भीतर ही कार्यालय के पत्रांक 297 दिनांक 05.02.2024 द्वारा प्रार्थी को राजकोष में राशि जमा करा, सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं किया जाकर, सूचना प्राप्त नहीं की गई है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय को प्रेषित प्रत्युत्तर की प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने से उन्हें पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में प्रथम अपील प्रकरणों में इस न्यायालय को प्रेषित प्रत्युत्तर की एक प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी आवश्यक रूप से प्रेषित करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। 6. निर्णय आज दिनांक 07.5.24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	